न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 81/2022 दायरा दिनांक : 21.06.2022

उनवान

1– कल्याण सिंह आत्मज रूप सिंह, जाति राजपूत,
2– लक्ष्मण सिंह आत्मज रूप सिंह, जाति राजपूत,
अकवाम निवासीगण ग्राम आमेठा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– भीम सिंह आत्मज परमार सिंह, जाति राजपूत
2– अन्तर कंवर बेवा चतर सिंह, जाति राजपूत,
अकवाम निवासीगण ग्राम आमेठा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित –श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 30.10.2023

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 14/प्रा.पत्र/2016 निर्णय दिनांक 17.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2– अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम नारायणपुरा जमाबंदी 2070–2073 की खाता संख्या 5 की 2 किता रकबा 9.05 बीघा आराजी कल्याण सिंह, लक्ष्मण सिंह पि0 रूप सिंह व अन्तर कंवर बेवा चतर सिंह, भीम सिंह पि0 परमार सिंह, जाति राजपूत के नाम दर्ज है तथा ग्राम आमेठा की जमाबंदी 2070–2073 की खाता संख्या 25 की 6 किता 10.01 बीघा भी उपरोक्त खातेदारों के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय दिनांक 17.06.2016 से ग्राम आमेठा एवं नारायणपुरा की आराजी क्रमशः 10.01 बीघा एवं 9.05 बीघा में कल्याण सिंह, लक्ष्मण सिंह पि0 रूप सिंह का हिस्सा 1/6, अन्तर कंवर का 1/12 तथा भीम सिंह पिता परमाल सिंह का 3/4 हिस्सा दर्ज करने का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार अकलेरा को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु आदेश जारी किये जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3– अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आदेश योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो कि निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजी ग्राम नारायणपुरा की 9 बीघा 5 बिस्वा व ग्राम आमेठा की 10 बीघा 1 बिस्वा आराजी के अपीलांट व रेस्पोडेंट सहखातेदार है, ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के मामले में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है। राजस्व लोक अदालत अभियान में कानूनन उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिनमें दोनों पक्ष सहमत हो, या दोनों पक्ष उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत करें, परन्तु उपरोक्त मामले में अपीलांट सहखातेदारान ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर किसी तरह का कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया, ऐसी स्थिति में अपीलांट की गैर मौजूदगी में अपीलांट के विरूद्ध किसी भी तरह का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु की ओर उचित गौर नहीं फरमाया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा केवल मात्र प्रकरण रिपोर्ट दिनांक 17.06.2016 के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित किया है, बिना आधार के पटवारी हल्का के द्वारा रेस्पोडेंट कम 1 भीम सिंह का 3/4 हिस्सा व अन्तर कंवर का 1/12 हिस्सा एवं अपीलांट का 1/6

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हिस्सा तय कर दिया, और इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जो कि अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के पूर्णतया विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय राजस्व लोक अदालत के नियमों एवं सी. पी. सी. के प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.06.2016 निरस्त किया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलांट को पक्षकार बना देवे। प्रकरण का पुनः विधि सम्मत तरीके से जवाब व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण करें।

4— अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.04.2022 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

5— अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

6— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित कियां कि रेस्पोडेंट नं. 1 भीम सिंह के द्वारा राजस्व लोक अभियान केम्प आमेठा में दिनांक 17.06.2016 को एक प्रार्थना पत्र विवादित आराजी में हिस्सा दर्ज करने बाबत पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत व सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत दिनांक 17.06.2016 को ही रेस्पोडेंट कम 1 का 3/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट कम 2 का 1/12 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित कर दिया, इसलिए अपीलांट द्वारा जानकारी की दिनांक से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.06.2016 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

7— विवादित आराजी ग्राम नारायणपुरा की 9 बीघा 5 बिस्वा एवं ग्राम आमेठा की 10 बीघा 01 बिस्वा आराजी के अपीलांट रेस्पोडेंट सहखातेदार है, ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के मामले में अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। कानूनन ऐसा आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के घोर उल्लंघन से पारित आदेश माना गया है और ऐसे आदेश को माननीय मण्डल द्वारा निरस्त किया गया, जैसा कि आर. आर. टी 2023 (1) पेज 1 पर उल्लेखित है।

8— राजस्व लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिनमें दोनों पक्ष सहमत हो या दोनों पक्ष उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत करें। उपरोक्त मामले में अपीलांट जो कि विवादित आराजी के सहखातेदार है, ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर किसी तरह का राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया, न कोई समझौता किया, ऐसी स्थिति में अपीलांट की गैर मौजूदगी में अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। जैसा की नंजीर आर. आर. टी. 2023 (1) पेज 247 पर प्रतिपादित किया है—

9— लोक अदालत कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। यदि पक्षकारों के मध्य राजीनामा या समझौता नहीं हुआ हो। विचारण न्यायालय ने प्रकिया की पालना किये बगैर और पक्षकारों की सहमति के बिना आदेश पारित किया जिसे अपील अधिकारी ने निरस्त माना अपील अधिकारी के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं मानी, इसी नजीर में पेज 249 पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि – लोक अदालत अभियान आपके द्वार 2018 में पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना राजीनामा अदम हाजरी, अदम पैरवी या पक्षकारों की सुनवायी का अवसर दिये बिना ही पेचीदगी पूर्ण मुकदमों को बिना बहस सुने ही निस्तारण कर दिये जाने के कारण राज्य सरकार ने प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए राजस्व (ग्रुप–1) विभाजन कमांक क 12 (3)राज–1/2018 जयपुर दिनांक 14.04.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के दौरान राजस्व प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की भावना के अनुरूप करने हेतु पीठासीन अधिकारी को पाबन्द किया गया था।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

10– उपरोक्त नजीर में इसी पेज 249 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नम्बर 6223/2021 में सिद्धांत प्रतिपादित किया कि लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निर्णय किया जा सकता है जिसमें पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया हो या राजीनामा हो गया हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित मामले में सभी कानूनी स्थिति को नजर अन्दाज कर एक तरफा रूप से सुनवायी का अवसर दिये बिना ही जो आदेश पारित किया है वह सर्वथा न्याय नियम एवं लीगल सर्विस आथोरिटी एक्ट 1987 की धारा 1920 के प्रावधानों के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

11– अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित किया है, पटवारी को विवादित आराजी के मामले में हिस्सा तय करने का कोई अधिकार नहीं है। कानूनन एक तरफा पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करना भी अवैधानिक है।

12– विवादित आराजी के मामले में रेस्पोडेंट को अपने अधिकारों के प्रति किसी तरह की कोई कानूनी कार्यवाही करनी ही थी तो उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार बनाते हुए घोषणा, बंटवारे का वाद पेश करना चाहिए था। अवैधानिक संक्षिप्त प्रकिया के आधार पर राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन बाबत कोई आदेश पारित करना अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण है। यदि राजस्व रेकार्ड में वर्णित हिस्से के बारे में यदि रेस्पोडेंट को कोई आपत्ति है तो उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार बनाते हुए उसे नियमित वाद पेश करना चाहिए।

13– अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.06.2016 निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

- आर. आर. टी. 2023 (1) पेज 1
- आर. आर. टी. 2023 (1) पेज 247
- आर.एल.डब्ल्यू. 1996(1) पेज 40
- आर.आर.टी. 2006–2007 (सप्ली.) पेज 443

14– हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अद्योपान्त अध्ययन किया गया।

15– अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

16– बहस अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, न्यायिक दृष्टांत, लिखित बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थी रेस्पोडेंट नं. 1 ने राजस्व लोक अदालत कैम्प आमेठा में दि. 17/06/2016 को वादग्रस्त आराजी के खातों में हिस्सा दर्ज करवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा कैम्प प्रभारी, कैम्प आमेठा को प्रस्तुत किया। प्रार्थी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन दिनांक 17/06/2016 को यह निर्णय पारित किया कि प्रार्थना पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकोर्ड के अवलोकन एवं पटवारी हल्का से ली गई रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि ग्राम नारायणपुरा की 9.05 बीघा व ग्राम भामेठा की 10.01 बीघा

(डॉ. रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी में कल्याण सिंह, लक्ष्मणसिंह पिता रूपसिंह का हिस्सा 1/6 व अंतरकंवर का 1/2 हिस्सा तथा भीम सिंह पिता परमालसिंह का 3/4 हिस्सा बनता है।

17 अतः ग्राम आमेठा एवं नारायणपुरा की आराजी क्रमशः 10–01 बीघा एवं 9–05 बीघा में कल्याणसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता रूपसिंह का हिस्सा 1/6, अंतरकंवर का 1/12 तथा भीमसिंह पिता परमालसिंह का 3/4 हिस्सा दर्ज करने हेतु खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने इस निर्णय में पटवारी हल्का की जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया है वह रिपोर्ट दिनांक 28/11/2015 अर्थात कैम्प दिनांक 17/06/2016 से लगभग सात माह पूर्व की है। पत्रावली में प्रार्थी रेस्पोडेंट नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में अपीलांट सहखातेदारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी होना नहीं पाया गया, ना ही किसी प्रकार का राजीनामा या समझौता पत्र प्रस्तुत होना पाया गया। केवल प्रार्थी रेस्पोडेंट नं. 1 के प्रार्थना पत्र व हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर की घोषणा कर राजस्व रेकार्ड में हिस्सा, दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता ।

18 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आर. आर. टी. 2023 (1) पेज नम्बर 1 पर उल्लेखित है कि पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये बिना पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है। इसी प्रकार आर. आर. टी. 2023 (1) पेज नं. 247 के अनुसार लोक – अदालत कोई आदेश पारित नहीं कर सकती यदि पक्षकारों के बीच राजीनामा या समझौता नहीं हुआ हो – विचारण न्यायालय ने प्रक्रिया की पालना किये बगैर और पक्षकारों की सहमति के बिना निर्णय पारित किया जिसे राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया, राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय में किसी प्रकार की अवैधता नहीं मानी गई। इसी न्यायिक दृष्टांत के पेज नं. 249 पर उल्लेखित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नम्बर 6223/2021 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निर्णय किया जा सकता है जिसमें पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया हो या राजीनामा हो गया हो। उक्त न्यायिक दृष्टांतों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान की सहमति के बिना ही लोक अदालत की भावना के विपरीत जाकर जो निर्णय पारित किया है, विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

19 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2016 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्षों को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा में दिनांक 21.12.2023 को उपस्थित होवे।

20– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/10/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा